तारीख हुक्म	न्यायाधीश–सेशन न्यायाधीश, सीकर सेशन प्रकरण संख्या– 318/2023 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम फैयाज अली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2026	1. श्री सांवरमल बिजारणियां, लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त फैयाज अली वरजमानत अनुपस्थित की हाजरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सैनी पेश हुआ जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है। 2. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्लू 7 डॉ. रणजीत सिंह व गवाह पी.डब्लू 8 डॉ. आशा चौधरी के बयान लेखबद्व किए गए। गवाहान को निम्नानुसार तलब किया जावेः– (1) दिनांक 27.05.2026 को गवाह संख्या 3 व 10 को जरिये जमानती वारण्ट राशि 3 हजार रूपये से, (2) दिनांक 29.05.2026 को गवाह संख्या 11 व 12 को जरिये जमानती वारण्ट राशि 3 हजार रूपये से तथा (3) दिनांक 30.05.2026 को गवाह संख्या 16 व 17 को जरिये जमानती वारण्ट राशि 3 हजार रूपये से तलब किया जावे। 3. जमानती वारण्टों पर लाल स्याही से इस आशय का नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार टारगेट प्रकरण है। अतः तामील विशेष वाहक से आवश्यक रूप से करवाई जावे। 4. पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु सर्वप्रथम दिनांक 27.05.2026 को पेश हो। 15.05.26 सेशन न्यायाधीश, सीकर	